भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1417
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>अदावाकृत निवेश निधि</u>

1417. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी :
श्री अर्जुन लाल मीणा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में अदावाकृत निवेश निधियों की मात्रा के संबंध में सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिनके पास अदावाकृत निधियां तो हैं परंतु उनका कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष खुलासा नहीं किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अदावाकृत निवेश निधियां निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित की जाती है लेकिन शास्ति खंडों के अभाव में कई कंपनियां ऐसी निधियों को अपने तुलनपत्र में हस्तांतरित कर देती है; और
(ङ) यदि हां, तो सात वर्षों की अनिवार्य अवधि के समापन के पश्चात् निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि को कितनी अदावाकृत निवेश निधियां हस्तांतरित की गई हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क), (ख) और (ग): वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक अदावाकृत लाभांश की मात्रा को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष कंपनियों द्वारा 31.03.2016 तक के वित्तीय विवरण की फाइलिंग के बाद ही निर्धारित की जा सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के उपबंधों के अनुसार, कंपनियों द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक में विधिवत अपनाए गए 31.03.2016 की

स्थिति तक के वित्तीय विवरणों को कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष वार्षिक साधारण बैठक आयोजित होने के 30 दिनों के भीतर दायर करना आवश्यक है। ऐसी वार्षिक साधारण बैठकों का आयोजन 30 सितंबर, 2016 तक किया जाना आवश्यक है और ऐसे वित्तीय विवरणों को 30 अक्तूबर, 2016 तक दायर किया जाना है। अत: यह सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ): कंपनी अधिनयम, 1956 की धारा 205क(5) के उपबंधों के अनुसार कंपनी के अदत्त लाभांश खाते जो 7 वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत/अदत्त होंगे, को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क(8) के उपबंधों के अनुसार दंड दिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(7) के संगत उपबंध, जिसमें 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अदत्त/अदावाकृत लाभांश अंतरित न किए जाने पर दंडात्मक प्रावधान है, को अभी अधिसूचित किया जाना है।

(ड.): वर्ष 2001-02 से 2015-16 (26.02.2016 तक) की अवधि के लिए 7 वर्ष की अनिवार्य अवधि की समाप्ति के पश्चात निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को 1273.66 करोड़ रुपए (लगभग) की अदावाकृत और अदत्त राशि का अंतरण किया गया है।

*****